रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2010/अग्रहायण 12, 1932
No. 655] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2010/AGRAHAYANA 12, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 949(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उप-धारा (2) के खंड (xv) और (xvi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म कृषक अधिकार (संशोधन) नियम, 2010 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 में,—

   (i) नियम 29 के उप-नियम (1) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

   "(ग) डीयूएस परीक्षण कम से कम दो समरूप फसल मौसमों के लिए क्षेत्रीय और बहुस्थानीय आधारित और विशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला आधारित होंगे :

   परन्तु वृक्षों और बेलों के मामले में डीयूएस जांच के तरीके पर एक विकल्प होगा कि तीन विशेषज्ञों के एक पैनल दो समरूप फसल मौसमों के लिए खेत पर परीक्षण स्थलों का दौरा करेगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए ।"

   (ii) दूसरी अनुसूची के, स्तंभ (3) में, क्रम सं. 1 के सामने, किए जाने परीक्षण से संबंधित, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

   "(1) परीक्षण की प्रकृति और प्रकार पर आधारित अधिकतम 50,000 रु. प्रति प्रविष्टि के अध्यधीन

   (2) खेत पर किए जाने वाले डीयूएस परीक्षण के लिए मद (1) के लिए विनिर्दिष्ट फीस के अधिकतम चार गुणा के अध्यधीन, फीस डीयूएस परीक्षण स्थलों के अवस्थान पर निर्भर करेगी ।"

[फा. सं. 1-11/2010-बीज-V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव (बीज)

टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 738(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 843(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2004 के सा.का.नि. 731(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2008 के सा.का.नि. 319(अ), तारीख 11 मई, 2009 के सा.का.नि. 783(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2009 के और सा.का.नि. 901(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2009 के द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2010

G.S.R. 949(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (xv) and (xvi) of sub-section (2) of Section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001(53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003,—

(i) in rule 29, in sub-rule (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) The DUS testing shall be field and multi-location based for at least two similar crop seasons and special tests will be laboratory based :

Provided that in the case of trees and vines there shall be an option on the manner of the DUS testing that a panel of three experts shall visit the On-farm test sites for two similar crop seasons as may be specified."

(ii) in the Second Schedule, in column (3), against serial number 1, relating to conducting tests, for the exiting entry, the following entries shall be substituted, namely :—

"(1) Dependent on the nature and type of test subject to a maximum of Rs. 50,000 per entry.

(2) For On-farm DUS testing, fee shall be dependent on the location of DUS test sites subject to a maximum of four times of the fee specified for item (1)."

[F. No. 1-11/2010-SD-V]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy. (Seeds)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) by G.S.R. 738 (E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended by G.S.R. 843 (E), dated the 30th December, 2004, G.S.R. 731(E), dated the 14th October, 2008, G.S.R. 319(E), dated the 11th May, 2009, G.S.R. 783 (E), dated the 27th October, 2009 and G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.